UPPB010026402026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1045/2026

संतोष कुमार गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता, निवासी ग्राम–भरतपुर, थाना–हजारा, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–39/2026
अन्तर्गत धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–हजारा, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 17.06.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त संतोष कुमार गुप्ता की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–02.04.2026 के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक–02.04.2026 को वादी मुकदमा शम्भूनाथ गुप्ता के द्वारा थाना प्रभारी, हजारा, जिला–पीलीभीत को इस आशय की तहरीर दी गई है कि उसने अपनी पुत्री सुनीता गुप्ता का विवाह दिनांक–06.03.2025 को संतोष गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता के साथ किया था। लेकिन उसके ससुरालीजन दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और उसकी पुत्री को आये दिन अपाचे मोटरसाईकिल व चार लाख रूपये नगद की मांग कर उसको प्रताड़ित करते थे। दिनांक–02.04.2026 को इन लोगों ने उसकी पुत्री को गला दबाकर मार दिया और मनगढन्त कहानी बनाने के लिए उसे फांसी से लटका दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। मेडिकल रिपोर्ट में मृतका सुनीता गुप्ता को दो माह की गर्भवती होना बताया गया है। उसके द्वारा कभी भी मृतका से दहेज की मांग नहीं की गई और न ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं है तथा मृत्यु का कारण हैगिंग बताया गया है। वह अपनी पत्नी/मृतका से बेहद प्रेम करता था एवं उसे बड़े ही लाड़–प्यार से रखता था एवं उसकी सारी सुख–सुविधाओं का ध्यान रखता था। सह–अभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–14.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–07.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि सुनीता गुप्ता जो अब नहीं है, का विवाह आवेदक/अभियुक्त संतोष कुमार गुप्ता से दिनांक–06.03.2025 को हुआ था, परन्तु शादी के बाद से ही आवेदक/अभियुक्त व अन्य परिवारिजन द्वारा मृतका से दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और इसी के चलते उसका गला दबाकर उसकी दहेज हत्या कर दी है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में उसके ससुराली घर/आवेदक/अभियुक्त के घर में हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.17 17:08:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

5. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है, जिसकी पत्नी की मृत्यु असामान्य/हालातों/परिस्थितियों में उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर, आवेदक/अभियुक्त के घर में ही हुयी है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मृत्यु पूर्व एक चोट/लिगेचर मार्क आना अंकित है तथा मृत्यु का कारण हैगिंग से होना दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है, जिसका उत्तरदायित्व अपनी पत्नी के प्रति सर्वाधिक है, वह जमानत पाये सह–अभियुक्तगण जो उसके माता–पिता हैं से समानता पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा इन परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त संतोष कुमार गुप्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।